



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5852/2026

Ketu S/o Sukhlal Maida, Aged About 20 Years, Resident Of
Piplava, Police Station Kotwali, District Banswara. (At Present
Lodged In District Jail Banswara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Vijay Kumar Gaur
For Respondent(s) : Mr. Sameer Pareek, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

07/05/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 43/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 140(1), 103(1) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में सहअभियुक्तगण लाली व अर्जुन की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2026 को ली जा चुकी है। जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है चश्मदीद साक्षी पवन की मृत्यु हो चुकी है और मृतक का अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार देखने बाबत साक्षी निर्मल व समन की बतौर पी.डब्ल्यू01 व पी.डब्ल्यू02 विचारण के दौरान हो चुकी है, जो पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं और निलेश के बयान अनुसंधान के दौरान नहीं लिए गए हैं। इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त का मामला सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं होना बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा पूर्व में पारित इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.04.2026 पर विचार किया गया। जिसमें मुख्य गवाह पवन, निलेश, निर्मल व समन होना स्पष्ट है और पवन चश्मदीद



साक्षी की मृत्यु हो चुकी है। निलेश के बयान अनुसंधान के दौरान नहीं लिए गए हैं और निर्मल व समन, जिन्होंने अंतिम बार मृतक को अभियुक्तगण के साथ देखना बताया गया था, जो बतौर पी.डब्ल्यू01 व पी.डब्ल्यू02 परीक्षित हुए हैं एवं पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं घटना की तायद नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी-अभियुक्त का मामला सहअभियुक्तगण लीला व अर्जुन से भिन्न होना नहीं माना जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **केतु पुत्र सुखलाल मईड़ा** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J